

खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
कन्हैयालाल पुत्र गदमलाल माली साठ बिजौलियां	उन्द्रो का खेड़ा	268/2 270/1	0.2954 0.2428
योग		खसारा 02	0.5382
रतना पुत्र हजारी तेली साठ उन्द्रो का खेड़ा	उन्द्रो का खेड़ा	268/1 270/2	0.2954 0.2428
योग		खसारा 02	0.5382

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... वावत् .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की से तारीख वसूलयावी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 08 वर्ष 2025 को जारी गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 05/08/2025 को मुर्तिब की गई।



3  
(अजीत/सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
ताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
फरिफ	-		मुनफरिफ	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

भूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह रावौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर दिनांक 13.06.2024

संख्या 58 / 2024

अनवान

माली पिता मदनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां  
भीलवाड़ा (राज0) ..... डिक्रीदार

बनाम

पिता इजारी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्दो का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा  
(राज0) ..... मदनूमान  
राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

### वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 05 / 08 / 2025

डिक्री दिनांक : 05 / 08 / 2025



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां

श्री विद्वान अधिवक्ता वादी श्री अनिल कुमार धाकड़ एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से  
किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित  
दारान के नाम उन्दो का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक  
लेखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा



बिजोलिया  
उपखण्ड अधिकारी  
(अजीत सिंह राठी)

पुन्य आज दिनांक 05/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



बिजोलिया  
उपखण्ड अधिकारी  
(अजीत सिंह राठी)

वकालतखार आनिम हिकी जारी की जाती है। वकील वकील विधार्थिन नोन  
युटिलिटीयल स्टाम प्रस्तुत करे तब हिकी मूठिब की जावे। खर्चा पक्षकारान खय अपना - अपना  
करे।

रकबा	हिकेटयर (मी)	आराली नंबर	ग्राम	खतदार का नाम	ग्राम	खसरी 02	0.5382
				कन्हैयालाल पुत्र मदनलाल माली गाँव बिजोलिया	उन्दी का खेड़ा	268/2	0.2954
				ग्राम	खेड़ा	270/1	0.2428
				ग्राम		खसरी 02	0.5382
				उन्दी का खेड़ा	उन्दी का खेड़ा	268/1	0.2954
						270/2	0.2428

जिमान परवाल जगन्दी में दर्ज हिये अनुरार बाई निदस एण्ड बाउण्डस की  
अनुार पर बादीगु की उपस्थिति में दौर करना मू-अभिनेख निरीक्षक बिजोलिया कला में अपनी  
बिजोलिया में प्रथक-प्रथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
अतः बादपत्र बादी अनुराल धारा 53 राजस्थान कायलकारी अविनिगम आनिम कप  
हिकी किया जाकर निनाकिम मूठि उनके नाम के आगे अधिक खतदारान के नाम राजस्थ



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- अजीत सिंह राठी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 58/2024

दायर दिनांक 13/08/2024

अनवान

कनैया माली पिता मदनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी विजौलियां कला तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादी

बनाम

रतना पिता हजारी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रतिवादीगण

- उपस्थित :- 1. श्री अनिल कुमार धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी  
2. एकपक्षीय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 05/08/2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 05/12/2024 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम उन्द्रो का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील विजौलिया में रिथत आराजी नं0 268 रकबा 0.5908 हैक्टेयर, आराजी नं0 270 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.0764 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार विजौलिया से लिया गया। तहसीलदार विजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1142 दिनांक 10.07.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

3

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा